

विषय :- मऊ स्टेशन पर सीजर क्रॉस ओवर के रिमूवल के क्रम में नॉन - इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में ।

टिप्पणी

मऊ स्टेशन पर सीजर क्रॉस ओवर के रिमूवल के क्रम में नॉन - इण्टरलॉकिंग का कार्य दिनांक 02.04.2021 से 05.04.2021 तक किया जाना है, जिसके लिए निम्नलिखित कर्मचारी /पर्यवेक्षक अपने नाम के सम्मुख उल्लिखित स्टेशन पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे ।

1. पर्यवेक्षकगण

क्रम सं०	नाम	पद नाम	प्रतिनियुक्ति	शिफ्ट	प्रतिनियुक्ति अवधि
1	श्री अजीत कुमार	यानि /सीटीसी	मऊ	08.00-20.00	02.04.21 से 05.04.21 तक
2	श्री ध्रमेन्द्र कुमार	यानि /सीवान		20.00-08.00	
3	श्री एस.के. द्विवेदी	यानि /पड़रौना		08.00-20.00	
4	श्री अरुण यादव	यानि /आजमगढ़		20.00-08.00	


नोट :- उपरोक्त NI अवधि में यानि /सीटीसी का कार्य यानि /भटनी, यानि /पड़रौना का कार्य यानि /कप्तानगंज, यानि/आजमगढ़ का कार्य स्टेधी/आजमग एवं यानि /सीवान का कार्य यानि /छपरा द्वारा सम्पादित किया जायेगा। खण्डवार स्टेमा/कॉटावाला की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक नामित यानि/स्टेधी अपने अधीनस्थ संख्यावार कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2021 को समय 12:00 बजे तक स्टेधी /मऊ (श्री जितेन्द्र चौधरी, मो- 9794843921) को अपनी ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करेंगे ।

2. कर्मचारियों की आवश्यकता :-

क्रम सं०	नाम	स्टेशन मास्टर	कॉटावाला	प्रतिनियुक्ति स्टेशन	रिपोर्टिंग तिथि
1	यानि /प्र. रामबाग	1	1	मऊ जं०	01.04.21 (NI अवधि 02.04.21से 05.04.21 तक)
2	स्टेधी /प्र. रामबाग	1	1		
3	यानि /मण्डुवाडीह	2	3		
4	स्टेधी /वाराणसी सिटी	1	1		
5	यानि /सीवान	1	1		
6	यानि /छपरा	1	1		
7	यानि /गाजीपुर सिटी	3	2		
8	स्टेधी /मण्डुवाडीह	1	4		
9	यानि /कप्तानगंज	1	1		
10	स्टेधी /छपरा	1	2		
11	स्टेधी /बलिया	1	-		
12	स्टेधी /वाराणसी	-	2		
13	यानि भटनी	1	2		
14	यानि /मऊ	1	2		
15	स्टेधी /आजमगढ़	-	1		
16	यानि /आजमगढ़	2	2		
17	यानि /बलिया	2	-		
18	यानि /पड़रौना	2	4		
19	स्टेधी /सीवान	1	1		
20	स्टेधी/भटनी	1	2		
21	स्टेधी /देवरिया	1	1		
कुल		25	34		

उपरोक्त नामित यातायात निरीक्षक अपने नाम के सामने निर्धारित तिथि एवं संख्या के अनुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति स्टेशन पर उपस्थित होने हेतु विरमित करेंगे। कोई भी निरीक्षक/कर्मचारी बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के न तो अपनी ड्यूटी चेंज करेंगे और न ही नॉन-इण्टरलॉक अवधि में अपने नामित स्टेशन को छोड़ेंगे। अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के बाद ही अपने मुख्यालय जायेंगे। विफलता को गम्भीरता से लिया जायेगा।

विगत दिनों सम्पन्न नॉन-इण्टरलॉकिंग कार्य (NDJ-GCT) के दौरान पर्यवेक्षक द्वारा अधिकांशतः अनुभवहीन कर्मचारियों को विरमित किया गया था जो संरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः निर्देशित किया जाता है नॉन-इण्टरलॉकिंग कार्य के दौरान प्राथमिकता के तौर पर दक्ष कर्मचारियों को ही विरमित करना सुनिश्चित करें।


26/3

वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक
वाराणसी।

सं० - प /555/ IV /NI/Doubling /MAU/2021

दिनांक : 26.03.2021

प्रतिलिपि :- मुख्य नियंत्रक वाराणसी : सर्व सम्बन्धित को सूचित करें।